रा.रा. माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष

(86)

रे.नि.

PBR/निगरानी/इन्दौर/भू-रा/2017/1912 प्रस्तुति 20/06/2017

1. मेसर्स शिवालिका व्यापार प्रा.लि.
तर्फे डायरेक्टर राजेन्द्र पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल
पता-पंचडेरिया तेह. सांवेर जिला इन्दौर
2. मेसर्स शान्ति कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स
द्वारा पार्टनर अशोक पिता स्व.श्री बद्रीलालजी नवाल
पता-200, सांघी स्ट्रीट, महू व जिला इन्दौर
3. अशोक पिता स्व.श्री बद्रीलालजी नवाल
पता-200, सांघी स्ट्रीट, महू व जिला इन्दौर
4. भूपेश तिवारी पिता श्री लीलाशंकर तिवारी
पता-धारनाका तेह. महू जिला इन्दौर
5. मो. हरिश पिता स्व.श्री मो. युनूस
पता-ग्राम करोंदिया चौपाटी, महू व जिला इन्दौर
6. श्रीमती मीनू पति श्री राजेन्द्र अग्रवाल
पता-8, जती कालोनी, रामबाग इन्दौर
7. श्रीमती वंदना पति श्री जगदीश अग्रवाल
पता-8, जती कालोनी, रामबाग इन्दौर ....प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. समनसिंह पिता रतनसिंह
आयु-55 वर्ष धंधा खेती
पता-ग्राम बजरंगपुरा, टप्पा बेटमा जिला इन्दौर
2. म.प्र. शासन तर्फे
पटवारी हलका नं. 42 ग्राम बजरंगपुरा
देपालपुर जिला इन्दौर ....प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... अभिभाषक ... 20/6/17

<u>रेवेन्यु निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के तहत-</u>

<u>प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से निवेदन है कि-</u>

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण यह रेवेन्यु निगरानी रेवेन्यु प्रथम अपील क्रं. 8/अपील/2016-17 आदेश दिनांक 29/05/2017 जो कलेक्टर इंदौर (पीठासीन अधिकारी पी.नरहरि) के द्वारा जिस रूप व स्वरूप में पारित किया गया है उससे पीडित व क्षुब्ध होकर उसके विरुद्ध विभिन्न व अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं -

Radha
मिना अग्रवाल
JP
सी. व-[illegible]
A Nawal

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/1912

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक क्रमांक 2 शासन को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	